


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या नाम
जो इस हुक्म
में जारी हुआ

23/7/19

परावली पैरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.


23/7/19

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 28/2018

मन्नालाल पिता रूपा खटीक निवासी खालदा तहसील बेगू

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता हरचंद्र खटीक निवासी खालदा तह0 बेगू
2. भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगू जिला चित्तौडगढ़
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक चित्तौडगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि0
शाखा बेगू प्रतिवादीगण



उपस्थित :: श्री एस.के.बिल्लु
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 23.07.2019

निर्णय वाद अ.धा. 88-53 राजस्थान काश्त. अधि.

वादी की ओर से वाद पत्र न्यायालय में अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लु द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम खालदा प0ह0 चेची में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

खसरा नम्बर	रकबा
18	2.8000
39	0.1000
41	0.2300
42	0.3900
43	0.3200
48	0.0500
49	0.0400
50	0.1500
51	0.1000
52	0.4000
56	0.4800
किता-11	5.0600 हैक्टर

यह कि नामान्तरण सं. 123 दिनांक 20.07.2016 से हकत्याग द्वारा मांगीया पिता रूपा खटीक अपना हक हिस्सा मन्नालाल पिता रूपा खटीक अपने भाई के पक्ष में कर दिया था जिससे मन्नालाल का हिस्सा 1/2 कलम सं. एक में हो गया है। प्रतिवादी सं0 एक का भी 1/2 हिस्सा निहित है लेकिन वादी एवं प्रतिवादी सं. एक में सीमा विवाद बना रहता है इसलिए मुझ वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 08.05.2018 को तहसील में चलकर विभाजन कराने को कहा तो उसने इन्कार कर दिया इसलिए मुझ वादी को यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। दावा पत्रावली में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से व भूमि बैंक के रहन होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिक्री जारी फरमाई जावें:

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)

कि वादी के 1/2 हक हिस्से की घोषणा की जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में कलम नं० एक में वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा अलग किये जाने की डिक्री जारी फरमाई जावे, वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी प्रतिवादीगण से. एक से वादी को दिलाया जावे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर, इस दावा पत्रावली में राजस्व लोक अदालत कैम्प चेची पर दिनांक 10.05.2018 को रखाया गया, कैम्प में उपस्थित वादी को सुना जाकर लोक अदालत की भावना से वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश दिया गया :

“ अतः वाद वादी धारा 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा खालदा प०ह० चेची की आ.नं. 18, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 56 कुल किता-11 कुल रकबा 5.800 हैक्टर भूमि में वादीका 1/2 हक हिस्से भूमि का गिद्स एण्ड बाउण्ड्स अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँको 1000/-रुपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री अलग से तैयार की जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मंगवाने हेतु पत्र लिखा जावे ”।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 634 दिनांक 25.06.2019 से प्रकरण में फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ प्रस्तुत की गई, प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुना गया जिन्होंने वाद वर्णित आराजी के बंटवारा रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दावा वादीगण का अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

अतः वाद वादीगण का दावा अ.घा. 88-53 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, मौजा खलदा प.ह. चेची की आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता है:

1. श्री मन्नालाल पिता रूपा जी खटीक सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर चि०स०भू०वि० बैंक लि० चित्तौडगढ शाखा बेगूँ हिस्सा 1/2 पर

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
18 मे से	1.400	5.29
41 मे से	0.115	2.85
42	0.390	10.59
48	0.050	1.26
50	0.150	4.18
56 मे से	0.240	0.60
किता-6	2.345 है०	24.77

2. श्री मांगीलाल पिता हरचन्द जाति खटीक सा०देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
18 मे से	1.400	5.29
41 मे से	0.115	2.85
43	0.320	8.79
51 मे से	0.089	2.50
52 मे से	0.382	1.00
56 मे से	0.240	0.60
किता-6	2.546 है०	21.03


सहस्रिक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

3. श्री मन्नालाल पिता रूपा हिस्सा 1/2 मांगीलाल पिता हरचन्द हिस्सा 1/2 जाति खटीक साठदेह खातेदार हन मन्ना के हिस्से पर चि०स०भू०वि० बैंक शाखा बेगू

<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकबा</u>	<u>लगान</u>
39	0.100 नाली	
49	0.040 आ०चा०	
51 मे से	0.011 रास्ता	
52 मे से	0.018 रास्ता	
<hr/>		
किता-4	0.169 है०	

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

23.7.19

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 28/2018

मन्नालाल पिता रूपा खटीक निवासी खालदा तहसील बेगू
वादी



बनाम

1. मांगीलाल पिता हरचंद्र खटीक निवासी खालदा तह0 बेगू
2. भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगू जिला चित्तौडगढ़
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक चित्तौडगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि0
शाखा बेगू प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. बिल्लु की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर सेकी उपस्थिति में इस वाद अ.घा. 38-53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 23.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादीगण का दावा अ.घा. 88-53 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, मौजा खलदा प.ह. चेची की आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता है:

1. श्री मन्नालाल पिता रूपा जी खटीक सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर चि0स0भू0वि0 बैंक लि0 चित्तौडगढ़ शाखा बेगू हिस्सा 1/2 पर

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
18 मे से	1.400	5.29
41 मे से	0.115	2.85
42	0.390	10.59
48	0.050	1.26
50	0.150	4.18
56 मे से	0.240	0.60

किता-6 2.345 है0 24.77

2. श्री मांगीलाल पिता हरचन्द्र जाति खटीक सा0देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
18 मे से	1.400	5.29
41 मे से	0.115	2.85
43	0.320	8.79
51 मे से	0.089	2.50
52 मे से	0.382	1.00
56 मे से	0.240	0.60

किता-6 2.546 है0 21.03

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)


3. श्री मन्नालाल पिता रूपा हिस्सा 1/2 मांगीलाल पिता हरचन्द हिस्सा 1/2 जाति खटीक सा0देह खातेदार हन मन्ना के हिस्से पर चि0स0भू0वि0 बैंक शाखा बेगू

<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकबा</u>	<u>लगान</u>
39	0.100	नाली
49	0.040	आ0चा0
51 मे से	0.011	रास्ता
52 मे से	0.018	रास्ता
<hr/>		
किता-4	0.169	है0

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे ।

अंतिम डिकी आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

 23.7.19
(रमेश, श्रीरवी - पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपप्रखण्ड अधिकारी)
बेगू जिला बिरौतपुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को डिकी की पालना हेतु दी जाती है।